


छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर
// संशोधन आदेश //

नया रायपुर, दिनांक 15/05/2018
क्र. 632/एफ 2018-04-04207/स्था./चार :: विभागीय आदेश क्र. 592/एफ
2018-04-04207/स्था./चार, दिनांक 04.05.2018 के द्वारा क्रमोन्नति प्रदान करते हुए श्री जेरोम
एक्का, उप संचालक (वित्त), छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर को संयुक्त संचालक
(वित्त), छत्तीसगढ़ लोक आयोग, रायपुर में अस्थाई रूप से पदस्थ किया गया था, को राज्य शासन
एतद्वारा संशोधित करते हुए श्री एक्का को संयुक्त संचालक (वित्त), छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन
आयोग, रायपुर में अस्थाई रूप से पदस्थ करता है।

2. विभागीय आदेश क्र. 592/एफ 2018-04-04207/स्था./चार, दिनांक 04.05.2018 के द्वारा
श्री जयंत कुमार देवांगन, लेखाधिकारी, लोक आयोग को सहायक संचालक (वित्त), छत्तीसगढ़
राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर में किये गये स्थानांतरण को राज्य शासन एतद्वारा संशोधित करते
हुए श्री देवांगन को यथावत लेखाधिकारी के पद पर लोक आयोग, रायपुर में अस्थाई रूप से पदस्थ
करता है।

3. शेष आदेश यथावत बने रहेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार



15/5/2018
(प्रेमा गुलाब एक्का)
अवर सचिव

पृष्ठा.क्र. 633/एफ 2018-04-04207/स्था./चार
प्रतिलिपि :-

नया रायपुर, दिनांक 15/5/2018

01. माननीय राज्यपाल के सचिव, राजभवन सचिवालय, रायपुर
02. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य मंत्री सचिवालय/वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
03. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, छत्तीसगढ़, नया रायपुर को वित्त विभाग की
वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
04. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
05. सचिव, लोक आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर
- * 06. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
07. संचालक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, नया रायपुर
08. कलेक्टर, रायपुर
09. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, रायपुर
10. उप संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, राजनांदगांव
11. वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, रायपुर/नया रायपुर
12. संबंधित अधिकारी.....की ओर पालनार्थ
13. आदेश फोल्डर

----- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित


15/5/2018
अवर सचिव